"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन-क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 24, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 27-11-2006 से 29-11-2006 तक (3 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26-11-2006 का शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित— -2006.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/4/2003/1/2.—श्री एस. के. तिवारी, भा. प्र. से., कलेक्टर, महासमुंद को दिनांक 06-12-2006 से 15-12-2006 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 एवं 18-12-206 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुन्द के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री तिवारी के उक्त अवकाश अवधि में श्री एन. के. खाखा, रा. प्र. से. अपर कलेक्टर, महासमुन्द अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, महासमुन्द का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 13-12-2006 से 14-12-2006 तक (2 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 05-12-2006 से 08-12-2006 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09 एवं 10 दिसम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले, आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

संशोधन

क्रमांक 13755/12506/21-ब/छ. ग./2006.—इस विभाग के आदेश क्रमांक-12506/21-ब/छ. ग./2006, दिनांक 17-10-2006 में उल्लेखित स्टाफ ऑफिसर के पद पर पदोन्नत कर्मचारी "श्री एम. डी. देशमुख" के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री एम. बी. देशमुख" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

संशोधन

क्रमांक 13757/12506/21-ब/छ. ग./2006.—इस विभाग के आदेश क्रमांक-12518/21-ब/छ. ग./2006, दिनांक 17-10-2006 में उल्लेखित अनुभाग अधिकारी के पद का वेतनमान रुपये "6500-225-10500" के स्थान पर वेतनमान रुपये "6500-200-10500" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अति. सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-52/2006/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. आर. दुग्गा, उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये "प्रमाणीकरण अधिकारी" नियुक्त करता है.

Raipur the 30th November 2006

No. F 1-52/2006/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (A) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Employment (standing order) Act, 1961 (No. 26 of 1961) and in supersession of all Notification previously issued on the Subject by Labour Department Govt. of Chhattisgarh. In this regard, State Govt. hereby appoints Shri S. R. Dugga, Deputy Labour Commissioner as the Certifying Officer for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2006,

क्रमांक एफ 1-5/16/2006.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08-09-2006 द्वारा उप-संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ के कार्यालय के स्थापना की स्वीकृति दी गई है. उक्त कार्यालय के कार्यक्षेत्र में जिला जशपुर, सरगुजा तथा कोरिया सम्मिलित है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/4348/कृषि/बी-11/2006/14-2.—दि फर्टिलाइजर (कंट्रोल) आर्डर, 1985 के खण्ड 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक/कृषि/बी-11/2001/14-2/105 दिनांक 9-2-2002 में, एतद्द्वारा, निम्न संशोधन करती है :-

1. सारणी के अनुक्रमांक 1 के कालम 2 में अंकित शब्दों "अपर संचालक कृषि या संयुक्त संचालक कृषि (खाद तथा उर्वरक)" के स्थान पर शब्द "संचालक कृषि" प्रतिस्थापित किया जाता है,

2. सारणी के अनुक्रमांक 1 के कालम 3 में अंकित शब्दों "संयुक्त संचालक कृषि" के स्थान पर शब्द "अपर संचालक कृषि" प्रतिस्थापित किया जाता है.

Raipur the 16th October 2006

No. 4348/Krishi/B-11/2006/14-2.—In exercise of the powers conferred by section-32 of the Fertilizer (Control) Order, 1985, State Government hereby ; amends Agriculture Department notification No./Agri./B-11/2001/14-2/105, dated 9-2-2001, namely :-

1. in column 2, of serial No. 1 of the table, for the words "Additional Director of Agriculture or Joint Director of Agriculture (Manures & Fertilizer)" the words "Director of Agriculture" shall be substituted,

2. in column 3, of serial No. 1 of the table, for the words "Joint Director of Agriculture" the words "Additional Director of Agriculture" shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2006

क्रमांक 397/4527/बी-8/11/2006-07/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक/13011/15/99 क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा "राज्य स्तरीय उप समिति" की बैठक दिनांक 10-10-2006 में की गई अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2006-07 मौसम के लिये संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई रबी फसल के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत रबी मौसम 2006-07 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्रमांक	फसल का नाम	जिला	परिभाषित तहसीलें
	(2)	(3)	(4)
	गेहूं सिंचित	रायपुर	1. रायपुर
			2. तिल्दा
			3. भाटापारा
			4. आरंग
			5. सिमगा
			6. पलारी
		[illegible]समुन्द	1. महासमुन्द
		धमतरी	1. कुरूद

(1)	(2)	(3)	(4)
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. धमधा
			4. बेमेतरा
			5. बेरला
			6. साजा
			7. गुण्डरदेही
			8. नवागढ़
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. पण्डरिया
			2. कवर्धा
		बस्तर	1. जगदलपुर
		बिलासपुर	1. बिलासपुर
			2. कोटा
			3. बिल्हा
			4. मस्तुरी
			5. तखतपुर
			6. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			7. मुंगेली
		जांजगीर-चांपा	1. मालखरौदा
			2. जांजगीर
		रायगढ़	1. रायगढ़
			2. खरसिया
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सीतापुर
			5. सुरजपुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफनगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
			2. मनेन्द्रगढ़
			3. भरतपुर
		जशपुर	1. बगीचा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगांव
			3. डोंगरगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गेंहू-असिंचित	रायपुर	1. आरंग
			2. पलारी
		धमतरी	1. कुरूद
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. धमधा
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. साजा
			9. बालोद
			10. डौंडीलोहारा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			3. लोरमी
			4. तखतपुर
		सरगुजा	1. सूरजपुर
3.	चना	रायपुर	1. रायपुर
			2. आरंग
			3. तिल्दा
			4. अभनपुर
			5. सिमगा
			6. भाटापारा
			7. पलारी
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. बालोद
			4. धमधा

(1)	(2)	(3)	(4)
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. साजा
			9. गुरूर
			10. गुण्डरदेही
			11. डौण्डीलोहारा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. छुईखदान
			4. खैरागढ़
			5. डोंगरगांव
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. तखतपुर
			2. मुंगेली
			3. लोरमी
			4. पेण्ड्रारोड (मरवाही सहित)
			5. कोटा
		जशपुर नगर	1. पत्थलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सुरजपुर
4.	अलसी	धमतरी	1. कुरूद
			2. धमतरी
			3. नगरी
		महासमुंद	1. महासमुन्द
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. धमधा
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. डौण्डीलोहारा
			9. साजा
			10. बालोद
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. डोंगरगढ़
			3. छुईखदान
			4. खैरागढ़
			5. डोंगरगांव
			6. मोहला
			7. अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील शामिल)
			3. कोटा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. चांपा
		कोरबा	1. करतला
			2. पाली
		जशपुर नगर	1. पत्थलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सीतापुर
			3. राजपुर
			4. सुरजपुर
			5. प्रतापपुर
			6. पाल (रामानुजगंज)
			7. वाड्रफनगर
			8. लुण्ड्रा
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
5.	राई-सरसों	धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. नारायणपुर
		कांकेर	1. अंतागढ़
		दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील शामिल)
			2. कोटा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
		कोरबा	1. कटघोरा
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
			2. लैलूंगा
		जशपुर नगर	1. जशपुर
			2. बगीचा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सीतापुर
			5. सुरजपुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफनगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. सोनहत
			2. मनेन्द्रगढ़
			3. भरतपुर
			4. बैकुण्ठपुर
6.	आलू	सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सीतापुर
			3. सुरजपुर
			4. पाल
		जशपुर	1. बगीचा

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2006

क्रमांक/5008/डी-15/79/2006/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा-5 उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-6813-12678-चौदह (1), दिनांक 25 नवम्बर 1968 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति बांधा बाजार के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नांकित स्थान पर बने समस्त संरचना आहाता,

खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम अम्बागढ़ चौकी, तहसील अम्बागढ़ चौकी जिला-राजनांदगांव के निम्नलिखित खसरा क्रमांक के 3 एकड़ भूमि का क्षेत्र :-

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल एकड़ में
1.	256/3 का टुकड़ा	2.00 एकड़
योग	1	2.00 एकड़

उपमण्डी क्षेत्र की सीमायें :-

(1) उत्तर में - आबादी भूमि
(2) दक्षिण में - शासकीय भूमि बाजार
(3) पूर्व में - पक्की सड़क
(4) पश्चिम में - आबादी एवं लगानी भूमि

Raipur, the 27th November 2006

No./5008/D-15/74/2006-07/14-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares that with effect from the date of publication in the official Gazette the following place including any structure, enclosures, open place or locality in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Bandha Bazar District Rajnandgaon established by this previous department notification No. 6813-12678 fourteen-1 Bhopal dated 25-11-1968, shall be sub market yard, namely :-

PLACE

An area of about 3 acre 1 and of following khasara Nos. at village Ambagarh-Chowki Tehsil Ambagarh Chowki, District Rajnandgaon.

No.	Khasara No.	Area in acre
1.	Piece of 256/3	2.00 Acre
Total	**1**	**2.00 Acre**

Boundry of Sub-market Yard

1. **On the North by** - Abadi land
2. **On the South by** - Government land, Bazar
3. **On the East by** - Pakki sadak
4. **On the West by** - Abadi and lagani bhumi

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-8/03/(6) 52.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प की गतिविधियों के संचालन एवं विकास के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के गठन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-7-2004 की कंडिका "स" के अनुसार संचालक मण्डल में हस्तशिल्प एवं समाज सेवा से जुड़े हुये निम्नलिखित दो शिल्पियों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य मनोनित करता है :-

1. श्री प्रदीप आचार्य, पिता स्व. श्री चुन्नी भाई आचार्य, नंदई चौक, राजनांदगांव (छ. ग.)

2. श्री गजानंद कुम्भकार, पिता स्व. श्री लखनलाल कुम्भकार, कवर्धा, जिला-कबीरधाम, (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

क्रमांक /8032/06/25-2/आजाकवि.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक-11791/डी-2307/21-ब/छ. ग./2006, दिनांक 25-9-06 द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर की सेवाएं इस विभाग को वक्फ अधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सतीष कुमार सिंह को विभाग में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी, वक्फ अधिकरण, रायपुर के पद पर, अन्य आदेश पर्यन्त, पदस्थ करता हूं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-55/दो/गृह/06.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्नपत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती याचना ताम्ब्रे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रीमति राखी गोयल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
3.	सोनल खण्डूजा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-44/दो/गृह/06.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "दांडिक विधि तथा प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र" (पुस्तकों सहित) एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री जागेश्वर कुमार कौशल	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर
2.	श्री विकास माहेश्वरी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर
3.	श्री अमित कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर
4.	श्री महेश सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर
5.	श्रीमती चंदनसंजय त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार बड़ौनियां	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर
7.	कु. तुलिका प्रजापति	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर
8.	कु. प्रियंका थवाईत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
9.	श्री अन्बलगन पी.	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्न पत्र (4)	उत्तीर्ण होने का स्तर (5)
1.	कु. सुनीता केशरवानी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में	निम्नस्तर
2.	कु. लीना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में	उच्चस्तर
3.	श्री सुखनाथ अहिरवार	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में	उच्चस्तर
4.	कु. रजनी भगत	नायब तहसीलदार	द्वितीय में	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर			
5.	श्री मुकेश कुमार बंसल	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में	उच्चस्तर
6.	श्री रजत कुमार	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में	उच्चस्तर
7.	श्री एस. प्रकाश	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में	उच्चस्तर
8.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-49/दो/गृह/06.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 एवं 26 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न-पत्र भाग-बी" (बिना पुस्तकों के) भाग सी- (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र (पुस्तकों सहित) व तृतीय प्रश्न पत्र विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री एस. प्रकाश	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं तृतीय में उच्चस्तर, द्वितीय में सश्रेय.
2.	कु. गीता शुक्ला	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
3.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय में उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
4.	श्रीमती पूनम शर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
5.	श्री सुधांशु सक्सेना	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर
6.	कु. गीता रायस्त	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
7.	श्री जागेश्वर कुमार कौशल	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
8.	श्री महेश कुमार राजपूत	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर तृतीय में निम्नस्तर
9.	श्री शैलेन्द्र कुमार बडौनिया	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
10.	श्री प्रकाश कुमार टण्डन	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर
11.	श्री अमित कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
12.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :-

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्न पत्र (4)	उत्तीर्ण होने का स्तर (5)
1.	श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव खरे	अधीक्षक	प्रथम एवं द्वितीय में	निम्नस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्न पत्र (4)	उत्तीर्ण होने का स्तर (5)
2.	श्री रजत कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
3.	श्री मनदीप सिंह बरार	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
4.	श्री मुकश कुमार बंसल	सहायक कलेक्टर	प्रथम में	उच्चस्तर
			द्वितीय में	सश्रेय
5.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	सहायक कलेक्टर	प्रथम में	उच्चस्तर
			द्वितीय में	सश्रेय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	कु. रोक्तिमा रॉय	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में	उच्चस्तर
7.	श्रीमती फरिहा आलम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में	उच्चस्तर
		परीक्षा केन्द्र रायपुर		
8.	श्री संजय कन्नौजे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
9.	श्री सुखनाथ अहिरवार	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में	उच्चस्तर
10.	कु. रजनी भगत	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में	निम्नस्तर
11.	श्री अविनाश चम्पावत	आई. ए. एस.	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
12.	श्री भगवान सिंह उइके	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में	उच्चस्तर
13.	कु. सुनीता केशरवानी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में	उच्चस्तर
			तृतीय में	निम्नस्तर
14.	कु. आर. संगीता	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
15.	श्री विकास महेश्वरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में	निम्नस्तर
16.	श्रीमती जयश्री जैन	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
17.	कु. प्रियंका थवाईत	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में	सश्रेय
18.	श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
19.	श्री बनसिंह नेताम	नायब तहसीलदार	प्रथम में	निम्नस्तर
20.	कु. तुलिका प्रजापति	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में	उच्चस्तर
21.	कु. सन्तन देवी जांगड़े	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर
22.	कु. लीना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में	उच्चस्तर
23.	कु. पद्मिनी भोई	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-67/दो/गृह/06.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रथम" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. सुनीता केशरवानी	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
2.	कु. रजनी भगत	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में निम्नस्तर
3.	कु. आर. संगीता	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
4.	श्री अविनाश चम्पावत	आई. ए. एस.	प्रथम में सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
5.	श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव खरे	अधीक्षक	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में निम्नस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
6.	श्री एस. प्रकाश	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
7.	श्री रजत कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
8.	श्री मनदीप सिंग बरार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
9.	श्री मुकेश कुमार बंसल	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
10.	श्री ओमप्रकाश चौधरी	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
11.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-69/दो/गृह/06.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रथम" (बिना पुस्तकों के) "लेखा भाग द्वितीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अजय शर्मा	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री मुक्ता नंद खुटे	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-72/दो/गृह/06.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री चन्द्रशेखर भारद्वाज	सहा. भौमिकी विधि	उच्चस्तर
2.	श्री हरिश कुमार ध्रुव	सहा. भौमिकी विधि	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-76/दो/गृह/06.—पशु चिकित्सा विभाग के सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा भाग एक" (पुस्तकों सहित), "लेखा भाग दो" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. निर्मल कुमार केडिया	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
2.	डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
3.	डॉ. अजय कुमार शर्मा	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
4.	डॉ. राजकुमार कुर्रे	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
5.	डॉ. संजय कुमार राज	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
6.	डॉ. कांशीराम बघेल	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
7.	डॉ. साधना सुनहरे	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
8.	डॉ. विजय कुमार कुर्रे	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर
9.	डॉ. रामचन्द्र रामटेके	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-77/दो/गृह/06.—मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 2 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा भाग एक" (बिना पुस्तकों के), "लेखा भाग दो" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अशोक कुमार महिस्वार	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	श्रीमति सुधा दास	सहायक संचालक	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
1.	श्री नारायण सिंह नाग	सहायक संचालक	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

कमांक 751/एफ/जसं/13–2/24/06 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय और अनुसचिवीय) सेवा में भर्ती के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश जनसंपर्क (सचिवीय और अनुसचिवीय) कर्मचारी भर्ती नियम 2003 :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय और अनुसचिवीय) सेवा भर्ती नियम, 2006 कहलाएंगे।

(2) ये नियम, "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़;

(ख) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ ;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(ड) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची

(च) "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का वही अर्थ होगा, जो उनके लिए विधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा जिसे समय–समय पर राज्य शासन द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाए ;

(छ) अन्य पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 पच्चीस–4–84 दिनांक 26.12.84 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ;

(ज) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय एवं अनुसचिवीय) सेवा ;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

(ञ) परीक्षा से तात्पर्य नियम–10 के अंतर्गत (सेवा में) भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा से है ।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिए गए उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन :– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :– (1) इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची–एक में उल्लेखित पदों पर मौलिक/स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्ति।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए व्यक्ति और

(3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए व्यक्ति ।

5. <u>वर्गीकरण वेतनमान</u> आदि :— सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदो की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची एक में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगी। परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका** :— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी; अर्थात :—

(क) (एक) प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) अनुसूची पांच में दी गयी स्कीम के अनुसार सचिवीय सेवा के कर्मचारियों में से चयन द्वारा.

(ख) सेवा के सदस्यों (जैसे कि अनुसूची चार के कॉलम) (2) में अंकित है,)की पदोन्नति द्वारा।

(ग) निर्दिष्ट सेवाओं में निर्दिष्ट पदों पर मौलिक/स्थापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण /प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) उप नियम (1) के खंड (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची एक में उल्लेखित पदों की संख्या के साथ अनुसूची दो में बताए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर संचालक द्वारा शासन के परामर्श से निश्चित की जाएगी।

(4) सेवा में भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के प्रावधानों तथा इस नियम के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश भी लागू होंगे।

(5) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी संचालक की राय में सेवा की आवश्यक्ताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर संचालक/आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से सेवा में भर्ती संबंधि उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है ऐसे तरीके अपना सकेगा जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये आदेश द्वारा विहित किए जाएं।

7. <u>सेवा में नियुक्ति</u>:— इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां संचालक/आयुक्त द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लेखित भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन/परीक्षा करने के बाद ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. <u>"प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती सचिवीय सेवा में से किए जाने वाले चयन को अपवर्जित करते हुए"</u> :— परीक्षा में स्पर्धा/चयन के समय पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिए अर्थात :—

(एक) <u>आयु</u> :—

(क) चयन/परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अपनी आयु के, जैसे कि अनुसूची तीन के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु अनुसूची तीन के स्तंभ 6 में निर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीधी भर्ती में उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक छूट दी जायेगी /शिथिलनीय होगी, किन्तु विधवा, तलाक् शुदा को 15 वर्ष का लाभ दिया जाएगा ।

(ग) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में, जो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के कर्मचारी हो अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक, तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी :-

(1) जो अभ्यर्थी शासन का स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी हो उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) अस्थायी पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी लागू होगी।

(दो) जो अभ्यर्थी छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की अवधि, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामं स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

व्याख्या– शब्द " छटनी किए गए शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन–पत्र देने की तिथि से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(तीन) जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की समस्त अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

व्याख्या– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए अथवा आवेदन करने की तिथि से अधिक से अधिक तीन वर्ष पहले मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण, छटनी की गयी हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आऊट कन्सेशन के अन्तर्गत सेवा मुक्त किया गया हो ।
(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त किया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किए गए अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है,

(5) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किए गए अधिकारी,

(6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किए गए भूतपूर्व सैनिक,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(9.) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी,

(10) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(11)विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी उम्मीद्वारों को सामान्यतः अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

(12)छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(13) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (होम गार्ड्स) को उनके द्वारा पूर्व में की गयी नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उपर्युक्तानुसार छूट की सीमा 8 वर्ष होगी अर्थात ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीपः— उपर्युक्त खण्ड (ग) (एक) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यार्थियों को परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो, वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा चयन से पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जावेंगी।

विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए । इसके अतिरिक्त आयु सीमा में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक योग्यताएं :–**

अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि इसमें संलग्न अनुसूची तीन में दर्शायी गयी है ।

(क) अपराधिक मामले में चयन समिति, संचालक/आयुक्त की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जिसके पास इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण चयन समिति अभ्यर्थी को परीक्षा के योग्य समझती हो और

(ख) चयन समिति अपने विवेकानुसार चयन के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी विचार कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त न की हो जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो ।

(3) **शुल्क:–**

अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **अनर्हता:–** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति द्वारा उनके चयन/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनर्हता के रूप में माना जाएगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा:–** परीक्षा में बैठने/चयन के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबध में समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा समिति द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने/समक्ष साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे समिति ने प्रवेश प्रमाण पत्र न दिया हो।

11. (क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती सचिवीय सेवा में से किए जाने वाले चयन को अपवर्जित करते हुए :–

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तर से ली जावेगी जिसे संचालक/आयुक्त समय–समय पर चयन समिति से परामर्श कर निश्चित करें।

(2) चयन समिति द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जाएगी, जिन्हें संचालक/आयुक्त समय–समय पर चयन समिति से परामर्श कर निश्चित करें।

(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में अंकित उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जाएगा, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न था।

(5) प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए अनुसूचित जाति तथा जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उप

नियम (3) के अधीन यथा स्थिति, अजा. अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किए जा सकेंगे। महिलाओं के पक्ष में समस्त पदों के 30 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण सम–स्तर और प्रभागवार (होरीजेन्टल एंड कम्पार्टमेंट वाइज) होगा। शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदों की भर्ती की जाएगी।

(ख) चयन द्वारा सीधी भर्ती:–(1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतर से किया जाएगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर चयन समिति से परामर्श कर निश्चित करें।

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा उनसे साक्षात्कार लेने के पश्चात् किया जाएगा।

(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में अंकित उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जाएगा, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न था।

(5) प्रशासन की दक्षता बनाए रखने को समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थिया उप नियम (3) के अधीन यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।

(6) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां केवल उन अभ्यर्थियों के लिये पुनर्विज्ञापित की जायेगी ।

यदि पुनर्विज्ञापन के पश्चात भी कोई रिक्तियां भरी जाना शेष हो तो वे सामान्य अभ्यर्थियों '' में से भरे जायेगे तथा अतिरिक्त रिक्तियों की समतुल्य संख्या पश्चातवर्ति चयन के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के अभयर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेगे।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (अग्रणीय पदों सहित) यथास्थिति के अभयर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या किसी भी समय कुल विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

12. (क) चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभयर्थियों की सूची :–(1) चयन समिति द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनायी गयी सूची तथा अनूसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन अभयर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, संचालक/आयुक्त को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्व साधारण की सूचना के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अधीन, उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिए गए नामों के क्रम में अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा।

सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किए जाने संबंधी तथ्य हो उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक संचालक/आयुक्त ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ख) <u>सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सूचना सहायकों के पद पर चयन द्वारा सीधी भर्ती</u> :–

(एक) सचिवीय सेवा में से सूचना सहायक का पद भरने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची–पांच में अधिकथित स्कीम के अनुसार प्रतिवर्ष ऐसे समय पर जैसा वह अवधारित करें एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा।

(दो) उप नियम (एक) के अनुसार सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत पद क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे ।

(तीन) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम चयन सूची में आए है, चाहे अन्य अभ्यर्थियों के नामों की तुलना में उनके सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(चार) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां अन्य ऐसे अभ्यर्थियों से भरी जायेगी जिन्होने सीमित प्रतियोगी परीक्षा अर्हता प्राप्त कर ली है ओर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित वे रिक्तियां जो भरी नहीं गई है, व्यपगत हो जायेगी

परन्तु आपांती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवा मुक्त अधिकारियों को सेवा में नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987(3)67 के अनुसार जिस तारीख से सेवा में नियुक्त माना गया है उसी तारीख से उनकी सेवा की गणना की जायेगी ।

(पांच) नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची उन अभ्यर्थियों की, जिन्होंने ऐसे मानक से जैसा कि अनुसूची–पांच में विहित है, स्वयं को अर्ह किया है और अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस मानक तक अर्ह न हो किन्तु जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता क्रम में एक सूची बनायी जाएगी, यह सूचीं अंतिम रूप से तैयार करने की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

(छः) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम सूची में आए हैं।

(सात) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. <u>पदोन्नति द्वारा नियुक्ति</u> :– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची चार में उल्लेखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(3) ऐसे पदों में जिनमें अनुसूची–दो के कालम तीन में एक से अधिक पद हो, उन पदों के 16 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के लिए रक्षित हो जाएंगे जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । पदोन्नति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अनुसार पदोन्नति माडल रोस्टर के अनुसार किये जायेंगे ।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति की प्रक्रिया उप नियम (4) में उल्लेखित नियम अनुसार तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रहेगी।

14. <u>पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें</u> :–

(1) अनुसूची चार उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदो पर, संलग्न अनुसूची चार के कालम–2 में उल्लिखित पद/ सेवा पर पदोन्नति की जाती है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, स्थानापन्न या मौलिक रूप से संलग्न अनुसूची चार के कॉलम (4) में उल्लेखित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचार क्षेत्र में आते हों।

<u>स्पष्टीकरणः</u>– <u>पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति</u> :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना

उस कलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर वर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

परन्तु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवा मुक्त अधिकारियों को सेवा में नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/1 (3) 67 के अनुसार जिस तारीख से सेवा में नियुक्ति माना गया है, उसी तारीख से उनकी सेवा की गणना की जायेगी ।

परन्तु यह और कि इस नियम के अंतर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति के लिए केवल उनकी निर्धारित सेवा की अवधि पूरी करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

(2) <u>चयन का क्षेत्र</u>:–(क) योग्यता–सह–जयेष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए चयन में 1,2 एवं 3 पदों के लिए चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 5,8,10 होंगे । सामान्यतः फार्मुला होगा कि रिक्तियों का दुगुना कर उसमें चार जोड़ा जायेगा ।

स्पष्टीकरण:–ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन लोगों के उपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावा नहीं रहेगा ।

(ख) यदि इस प्रकार के चयन, पुनरावलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाय की यथा स्थिति सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाय तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण को लिपिबद्ध करेगी ।

15. <u>प्रवर सूची पर संचालक/आयुक्त का अनुमोदन</u>:–

नियम 14 के अनुसार तैयार की गयी सूची समिति द्वारा निम्नलिखित के साथ संचालक/आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी :–

(1) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख

(2) अनुसूची चार के कालम 2 में दर्शित सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख जिनका समिति की सिफारिश के अनुसार अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो।

(3) अनुसूची चार के कालम दो में दर्शित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण और

(4) समिति की सिफारिशों पर संचालक/आयुक्त के विचार।

16. <u>प्रवर सूची</u> –

संचालक समिति से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गयी सूची पर विचार करेगा और यदि उनमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा। यदि संचालक समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के

संबंध में समिति को सूचित करेगा तथा समिति उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुए संचालक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो सूची का अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा।

(1) समिति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची चार के कालम 3 में उल्लिखित पद पर अनुसूची चार के कालम 2 में उल्लिखित पद से पदोन्नत करने के लिए प्रवर सूची होगी।

(2) प्रवर सूची सामान्यतया तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम 14 के उपनियम (3) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाए, किन्तु इस सूची की वैधता उसके बनाने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ायी जाएगी।

परन्तु प्रवर सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर प्रवर सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि संचालक उचित समझे तो प्रवर सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17 **प्रवर सूची से सेवा में नियुक्तिः** –(1) प्रवर सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम प्रवर सूची में हों :– परन्तु जहाँ प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा करना जरूरी हो वहां किसी व्यक्ति का, जिसका नाम प्रवर सूची में न हो या प्रवर सूची में जिसका अगला नाम न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि रिक्त स्थान संभवतः तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं है।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की प्रवर सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित करने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तिथि की बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए जो संचालक की राय में, उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षाः–**

सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. **निर्वचनः–**

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **छूटः–** इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने के राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसको उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती है:

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. (क) निरसन तथा व्यावृत्तिः— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किए जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गयी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी।

(ख) व्यावृत्ति: — इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण और अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

अनुसूची–एक
नियम–5 देखिए

स0 क्र0	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल		
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य छायाचित्रकार	01	......	01	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	5500–175–9000
2.	सहायक जनसंपर्क अधि0	14	–	14	–0–	5500–175–9000
3.	छाया चित्रकार	01	–	01	–0–	5000–150–8000
4.	सहायक छायाचित्रकार	11	–	11	–0–	4500–125–7000
5.	सूचना सहायक ग्रेड–1	44	–	44	–0–	4500–125–7000
6.	सूचना सहायक ग्रेड–2	07	–	07	–0–	4000–100–6000
7.	प्रचार सहायक ग्रेड–2	03	–	03	–0–	3500–80–4700–100–5200
8.	तकनीशियन (नियमित) (डाइंग कैंडर)	02	–	02	–0–	3050–75–3950–80–4590
9.	तकनीशियन (नैमेत्तिक) (डाइंग कैंडर)	03	–	03	–0–	कलेक्टर दर
10.	कारपेंटर कम मैकेनिक (डाइंग कैंडर)	01	–	01	–0–	3050–75–3950–80–4590
11.	भारी वाहन चालक नियमित (ड़ाइंग कैंडर)	01	–	01	–0–	3500–80–4700–100–5200
12	वाहन चालक (नियमित)	07	–	07	–0–	3050–75–3950–80–4590
13.	वाहन चालक (नैमेत्तिक)	26	–	26	–0–	कलेक्टर दर
14.	संचार सहायक ग्रेड–1	01	–	01	–0–	5000–150–8000
15.	संचार सहायक ग्रेड–3	03	–	03	–0–	4000–100–6000
16.	सिनेमा ऑपरेटर (नियमित) (डाइंग कैंडर)	01	–	01	–0–	3050–75–3950–80–4590
17	सिनेमा ऑपरेटर (नेमेत्तिक) (डाइंग कैंडर)	05	–	05	–0–	3050–75–3950–80–4590
18.	अधीक्षक	01	–	01	तृतीय श्रेणी (सचिवीय)	5500–175–9000
19.	निज सहायक	03	–	03	–0–	5500–175–9000
20.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	08	–	08	–0–	4500–125–7000
21.	लेखापाल	21	–	21	–0–	4500–125–7000
22.	कनिष्ठ लेखापाल (डाइंग कैंडर)	03	–	03	–0–	4000–100–7000
23.	सहायक ग्रेड–1	13	–	13	–0–	4500–125–7000
24.	सहायक ग्रेड–2	17	–	17	–0–	4000–100–6000
25.	सहायक ग्रेड–3	37	–	37	–0–	3050–75–3950–80–4590
26.	स्टेनो टायपिस्ट	07	–	07	–0–	3050–75–3950–80–4590
27.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	10	–	10	–0–	3500–80–4700–100–5200

अनुसूची–दो
(नियम–6 देखिए)

सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		नियम 6 (ग) के अधीन अन्य सेवाओं के सदस्यों के अस्थायी स्थानान्तर द्वारा
			नियम–6 (क) अधीन प्रति–योगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा	नियम 6(ख) के अधीन सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय और अनुसचिवीय) सेवा	1. मुख्य छायाचित्रकार	01	निरंक	100 प्रतिशत	उन विभागीय तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा फोटोग्राफी में पत्रोपाधि देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था का फोटोग्राफी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
	2. सहा. जन0 अधिकारी	14	निरंक	100 प्रतिशत	
	3. छायाचित्रकार	01	निरंक	100 प्रतिशत	
	4. सहा. छायाचित्रकार	11	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	
	5. सूचना सहा. ग्रेड–1	44	70 प्रतिशत	15प्रतिशत प्रचार सहायक–ग्रेड–2 एवं सूचना सहायक ग्रेड–2 की पदोन्नति से	+15 प्रतिशत विभागीय तृतीय श्रेणी सचिवीय कर्मचारियों से चयन द्वारा भर्ती होगें
	6. सूचना सहा.ग्रेड–2	07	100 प्रतिशत	निरंक	
	7. प्रचार सहा. ग्रेड–2	03	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	
	8. संचार सहा. ग्रेड–1	01	निरंक	100 प्रतिशत	
	9. संचार सहा. ग्रेड–3	03	100 प्रतिशत	निरंक	
	10. वाहन चालक (नियमित)	07	निरंक	100 प्रतिशत	आकस्मिक कार्यभारित सेवा में 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त स्थायी घोषित होने पर नियमित स्थापना में रिक्त पद पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी
	11. वाहन चालक (नैमेत्तिक)	26	100 प्रतिशत	निरंक	
	12. अधीक्षक	01	निरंक	100 प्रतिशत	
	13. निज सहायक	03	निरंक	100 प्रतिशत	
	14. शीघ्र लेखक ग्रेड–3	08	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत	पद स्टेनो – टायपिस्ट के पद से पदोन्नति के लिए उपलब्ध रहेंगे और इस प्रयोजन के लिए अर्हता तथा चयन प्रक्रिया वहीं होगी जो शीघ्रलेखक

					ग्रेड–3 के पदों पर सीधी भरती के लिए अधिकथित है।
	15. लेखापाल	21	निरंक	100 प्रतिशत	
	16. सहायक ग्रेड–1	13	निरंक	100 प्रतिशत	
	17. सहायक ग्रेड–2	17	निरंक	100 प्रतिशत	
	18. सहायक ग्रेड–3	37	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	पद उन विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों तथा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
	19. स्टेनो टायपिस्ट	07	100 प्रतिशत	निरंक	

अनुसूची–तीन

नियम–8 देखिए

(अर्हताएं)

कार्यालय का नाम तथा सेवा का नाम	वर्गीकरण	पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता आदि
1	2	3	4	5	6
जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय और अनुसचिवीय सेवा)	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	1. सहायक जनसंपर्क अधिकारी	21	35	(पदोन्नति का पद है)
		2. सहा. छायाचित्रकार	18	35	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। फोटोग्राफी में पत्रोपाधि देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था का फोटोग्राफी प्रमाण–पत्र
		3. सूचना सहा. ग्रेड–1	21	35	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पत्रकारिता में डिग्री/डिप्लोमा/3 वर्ष का अनुभव
		4. सूचना सहा. ग्रेड–2	21	35	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पत्रकारिता में डिग्री/डिप्लोमा/3 वर्ष का अनुभव
		5. संचार सहा. ग्रेड–3.	18	35	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर संचालन में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा/डिग्री ।
		6. प्रचार सहा. ग्रेड–2	21	35	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण ।

		7. वाहन चालक	21	35	आठवीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण हो। वाहन चालक का लायसेंस हो।
		8. शीघ्रलेखक ग्रेड–3	18	35	हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 शिक्षा पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ शीघ लेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या इस प्रयोजन हेतु किसी मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो/डी.सी.ए.
		9. स्टेनो टायपिस्ट	18	35	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। छत्तीसगढ़ शीघलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या इस प्रयोजन हेतु किसी मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा भी उत्तीर्ण तथा शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति होनी चाहिए। डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन।
		10. सहायक ग्रेड–3	18	35	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन।
		11. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18	35	

अनुसूची—चार
(नियम 13 तथा 14 देखिए)
(पदोन्नति)

सेवा का नाम	पंद जिससे पदोन्नति की जांना है	पद जिस पर पदोन्नति की जानी है।	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (नियम15 देखिए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय और अनुसचिवीय) सेवा	1.(क) सूचना/प्रचार सहायक ग्रेड–1	सहायक जन.संपर्क अधिकारी	5 वर्ष	1. संचालक/आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट अपर संचालक	अध्यक्ष
	(ख) सूचना सहायक ग्रेड– एक	——,,——	5 वर्ष	2. संचालक/आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट संयुक्त संचालक	सदस्य
				3. उप संचालक (स्थापना)	सदस्य
	2. छायाचित्रकार	मुख्य छायाचित्रकार	5 वर्ष	तदैव	
	3. सहायक छायात्रिकार	छायाचित्रकार	5 वर्ष	तदैव	
	4. सूचना सहा. ग्रेड–2 प्रचार सहा.ग्रेड–2	सूचना सहा. ग्रेड–1 —0—	5 वर्ष	तदैव	
	5. तकनीशियन	सहा.छायाचित्रकार	3 वर्ष	तदैव	
	6 सिनेमा ऑपरेटर/कारपेंटर कम मैकेनिक	प्रचार सहा. ग्रेड–2	3 वर्ष	तदैव	
	7. संचार सहा.ग्रेड–2	संचार सहा.ग्रेड–1	3 वर्ष	तदैव	
	संचार सहा. ग्रेड–3	संचार सहा.ग्रेड–1	5 वर्ष	तदैव	
	8. लेखापाल	अधीक्षक	3 वर्ष	तदैव	
	9. कनिष्ठ लेखापाल /सहा.ग्रेड–2 (ले.प्र.)	लेखापाल	3 वर्ष	तदैव	
	10. सहायक ग्रेड–2 (ले.अप्रशि.)	सहायक ग्रेड–1	3 वर्ष	तदैव	
	11. सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	तदैव	
	12. शीघ्रलेखक ग्रेड–3	निज सहायक	5 वर्ष	तदैव	
	13. स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	5 वर्ष	तदैव	

टीप :— शीघ्रलेखक ग्रेड–3 के पदों पर स्टेनो टायपिस्ट से तथा सहायक ग्रेड–3 के पदों पर चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति अनूसूची–दो में बताए गए अनुसार की जाएगी।

अनुसूची–पांच
(नियम–6 (1) (ख) तथा 12–क (1) देखिए)

<u>सूचना सहायक ग्रेड–एक के पदों के लिए सचिवीय सेवा में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए स्कीम</u> –

1. <u>नाम</u>– इस योजना का नाम जनसम्पर्क संचालनालय तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सचिवीय सेवा में से चयन के माध्यम से सूचना सहायकों की भर्ती के लिए स्कीम है।

2. <u>पात्रता</u>:– (क) सचिवीय सेवा के केवल वे ही सदस्य इस स्कीम के अधीन पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करते हों अर्थात :–

   (एक) जिन्होंने जनसम्पर्क संचालनालय या उसके अधीनस्थ कार्यालयों में सचिवीय सेवा में लगातार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।

   (दो) जो सूचना सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूची–तीन में विहित अर्हताएं रखते हैं।

   (तीन) उसकी आयु उस वर्ष के प्रथम दिन को, जिसमें नियुक्ति के लिए उसका चयन किया गया है, 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष की होगी।

3 <u>चयन का आधार</u>:– नियुक्ति के लिए चयन निम्नलिखित आधारों पर होगा –

   (एक) सफल अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक और

   (दो) संबंधित कर्मचारियों की गत पांच वर्षो की चरित्रावलियों के मूल्यांकन को, चयन के लिए विचार में लिया जाएगा।

4. <u>परीक्षा</u>:–

   (एक) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष एक लिखित परीक्षा ऐसी रीति में तथा ऐसी तारीखों पर ली जाएगी जो उसके द्वारा अवधारित की जाए।

   (दो) लिखित परीक्षा के लिए ढाई –ढाई घंटे की अवधि के दो प्रश्न–पत्र होंगे जिनमें से प्रत्येक 50 अंक का होगा। इस परीक्षा में सफल होने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक प्रश्न–पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त हों।

   (तीन) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों में प्रश्न पत्रों को तैयार कराएगा :–

<u>प्रश्न पत्र</u>:–1

सामान्य ज्ञान

सामान्य हिन्दी, और

प्रारंभिक गणित

प्रश्न पत्र :–2

(एक) शासकीय सेवा के सामान्य नियम,

(दो) विभाग में प्रचलित शब्दावली का ज्ञान,

(तीन) विभाग से संबंधित अधिनियम, नियम, मैन्युअल आदि।

(चार) प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(पांच) केवल ऐसा कर्मचारी ही इस परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होगा जो पूर्वगामी पैरा–2 में उल्लेखित अर्हता पूरी करता हो। इच्छुक अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन, प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम एक मास पूर्व आमंत्रित किए जाएंगें । इन आवेदकों को इन परीक्षा के लिए पात्र पाए जाने पर, परीक्षा की तारीख, स्थान तथा समय के बारे में सूचना दी जाएगी।

(छ:) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विभाग के उस अधिकारी/ उन अधिकारियों से कराया ज़ाएगा जिन्हें वह काम निर्दिष्ट करें।

(सात) ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची बनाई जाएगी जिन्होंने अलग–अलग प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

5 चयन सूची :–

(एक) चरित्रावलियों का मूल्यांकन तथा अंतिम चयन सूची–पैरा 4 सात के अनुसार तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पूर्ववर्ती पांच वर्षों की चरित्रावलियों का मूल्यांकन अनुसूची चार के कालम (5) में वर्णित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।

(दो) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष के लिए 20 अंकों में से निम्नलिखित वर्गीकृत मान के अनुसार अंक दिए जाएंगे –

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा	–	–	20
अच्छा	–	–	15
औसत			10

(तीन) चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर अभिप्राप्त अंकों को प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के सामने लिखा जाएगा और इन दोनों अंकों का जोड़ ही कुल अंक होंगे।

(चार) अभिप्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएंगी।

(पांच) सचिवीय सेवा में से नियुक्त किए गए सूचना सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण अंतिम सूची में गुणानुगुण क्रम के अनुसार किया जाएगा।

6 परिवीक्षा:– इस स्कीम के अधीन नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा इस कालावधि के दौरान उसे ऐसा प्रशिक्षण पूरा करना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण करनी होगी जो विहित की जाए। यदि कोई अभ्यर्थी परिवीक्षा कालावधि के दौरान सूचना सहायक पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाए तो उसे उसके मूल सचिवीय पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। प्रत्यावर्तन पर,सूचना सहायक के पद पर परिवीक्षा के दौरान की गई सेवा को सचिवीय सेवा में की गई सेवा समझा जाएगा।

परिशिष्ट

प्रश्न पत्रों के लिए पाठ्य विवरण

प्रश्न पत्र प्रथम अधिकतम अंक 50

(एक) सामान्य ज्ञान (15 अंक)

समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा संबद्ध सन्दर्भ छत्तीसगढ़ संबंधी सामान्य ज्ञान (तीन प्रश्न)

(दो) सामान्य हिन्दी (15 अंक)

10–12 पंक्तियों के गद्यांश का सारांश एवं गद्यांश पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न, समरूप शब्दों के अर्थों में भिन्नता और किसी भी विषय पर अधिक से अधिक 150 शब्दों में एक निबंध।

(तीन) प्रारंभिक गणित (20 अंक)

गुणा, भाग दशमलव प्रणाली में भिन्न, प्रतिशत, लाभ तथा हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन तथा अनुपात।

प्रश्न पत्र द्वितीय अधिकतम अंक 50

(एक) शासकीय सेवा के बारे में ज्ञान (20 अंक)

वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, भर्ती नियमों के बारे में सामान्य ज्ञान और आचरण नियमों के विषय में प्रारंभिक ज्ञान

(दो) विभाग में प्रचलित शब्दावली (15 अंक) विभाग में सामान्यतया प्रयुक्त शब्दावली पर आधारित प्रश्न.

(तीन) विभागीय नियमों का ज्ञान (15 अंक)

विभिन्न ऐसे अधिनियमों, नियमों आदि से संबंधित प्रश्न जिनके अधीन विभाग कार्य करता है ।

No. 751/F/PR/13-2/24/06-In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution, the Governor of Chhattisgarh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Public Relations Class III (Ministerial and Non-ministerial Services; namely:-

THE CHHATTISGARH PUBLIC RELATIONS (MINISTERIAL AND NON-MINISTERIAL) EMPLOYEES RECRUITMENT RULES, 2006

RULES

1. **Short title and commencement** :- These rules may be called the Chhattisgarh Public Relations Class III (Ministerial and Non-ministerial) Employees Recruitment Rules, 2006.
   These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions**:- In these rules, unless the context otherwise requires:-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director, Public Relations, Chhattisgarh;
   (b) "Director /Commissioner" means the Director / Commissioner Public Relations, Chhattisgarh ;
   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;
   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;
   (e) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
   (f) "The Expression" Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall have the same meaning as are as signed to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution and may be notified as such by the State Government from time to time;
   (g) Other Backward classes means citizens of other backward classes as amendments made from time to time by the General Administration Dept. Reservation Cell Notification No. F-8-5-twentyfive- 4-84 dtd. 26.12.84.
   (h) "Service" means the Chhattisgarh Public Relations Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service;
   (i) "State" means the State of Chhattisgarh ;
   (j). Examination means competitive examination conducted for recruitment (in service) under Rule 6 and II.
3. **Scope and application**:- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of this service.
4 **Constitution of the Service**:- The service shall consist of the following persons. namely:-
   (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I .
   (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules
   (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
5. **Classification scale of pay etc.**:- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scales of the pay attached there to shall be as specified in Schedule I appended hereto:
   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service in a permanent or temporary basis.

6 **Methods of recruitment**:-(1)Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods; namely:-

(i) By direct recruitment by Competitive Examination,

(ii) By selection of employees of Ministerial service as per scheme given in Schedule V.

(iii) By transfer/deputation of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under Clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule II of the number of posts specified, in Scheduled I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Director in consultation with the Government.

(4) At the time of recruitment provisions of Chhattisgarh Public Service Commission (SC,ST, OBC) Act 1994 and time to time directives issued by the General Administration Department will also be effective.

(5) Not withstanding anything contained in sub-rule(1) if in the opinion of the Director/Commissioner the exigencies of the Services so require, the Director/Commissioner may, with the concurrence of the General Administration Deptt. adopt such methods of recruitment of service other than those specified in the said sub-rule as the Government may, by orders issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service**:- All appointments in the service after the commencement of these Rules shall be made by the Director/Commissioner and no such appointment shall be made except after selection/examination by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **"Direct recruitment by competitive examination excluding selection from ministerial service"** :- In order to be eligible to complete in the examination/to be selected, a candidate must satisfy the following conditions namely:- (1) Age: (a) He must have attained the age specified in column 5 of Schedule III and not attained the age specified in column 6 of Schedule III on the first day of January next following the date of commencement of selection/examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe. In case of women applicants they will get 10 years relaxation over maximum age limit in direct recruitments. but widow/divorcees will get the benefit of 15 years.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the exent and subject to the conditions specified below:

(i) Permanent and Temporary Government Servants shall not be more than 38 years. The above concession will also apply to work-charged staff and contingency paid staff and persons employed in project, implementing committees.

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post, should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to

the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementation Committees.

(iii) A candidate who is retrenched Government Servant will be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represent more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the Constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:-The term "ex-servicemen" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions,

(2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on

(a) completion of short-term engagement

(b) fulfulling the conditions of enrolment

(3) Ex-personnel of Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officer

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen invalidated out of service.

(7) Ex-servicement discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun wounds, etc.

(e) Green card holders of family welfare programme will get 2 years relaxation in upper age limit.

(f) Gold partner of Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward welfare Departments, intercaste marriage will get relaxation of five years in upper age limit.

(g) Vikram prize awardees will get relaxation of 5 years in upper age limit.

(h) Employees of Chhattisgarh State Corporations/Board will get maximum age limit of 38 years.

(i) Home Guards will get relaxation equivalent to number of years they served in Home Guard, relaxation period will be of 8 years, it means after availing relaxation facility age of concerned Home Guard will not exceed 38 years.

NOTE:Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in subclauses (i) and (ii) of clauses (c), (i) above shall not be

eligible for appointment if after submitting the applications they resign from service either before or after examinations/selection, however, they shall continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case shall these age limits be relaxed.

Departmental candidate must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection. Apart from this directives issued by the General Administration Department will also be effective.

(2) Educational qualifications: He must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III, hereto annexed:

Provided that:-

(a) In exceptional cases the Selection Committee may on the recom mendation of the Director/Commissioner treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of Commission, justifies the consider ations of the candidate for selections, and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government may also be considered for selection at the disrection of the Selection Committee.

(3) Fees: The candidate must pay the fees prescribed by the Selection Committee.

9. **Disqualifications:-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Selection Committee to disqualify him for selection.

10. **Selection Committee decision about the eligibility of candidates shall be final:** The decision of the Selection Committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the committee shall be allowed by the committee for appearing in the examination for being interviewed.

11 (A) **"Direct Recruitment by competitive examination excluding selection from ministerial service"**:-

(1). Competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals as the Director/Commissioner may, in consultation with the Selection Committee, from time to time, determine.

(2) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders as the Director/Commissioner may, in consultation with the Selection Committee from time to time, issue.

(B) Direct recruitment by selection: (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may, in consultation with the Selection Committee from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Board after interviewing them.

(3) For selection without competitive examination-16 percent. 20 percent . 14 per cent of that vacant posts available for direct recruitment shall be reserved for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved the candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes recommended by the Selection Committee as suitable for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed on the vacancies reserved for the candi dates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule(3).

(6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates.

If even after re-advertisement any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be during the subsequent selection.

Provided that the total number of vacancies so reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including posts carried forward) shall not at any time exceed forty-five percent of the total vacancies advertised.

12.[A] **List of Candidates recommended by the Selection Committee**:-The Selection Committee shall forward to the Director/Commissioner a list arranged in order of merit of the candidates who may have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and of the candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that Standard yet are declared by the Selection Committee as suitable for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment on the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

Inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Director/Commissioner is satisfied after such enquiry. as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

12 (B) **Direct recruitment by selection on the post of Information Assistants through limited competitive examination:-**

(i) For filling up the post of Information Assistant from amongst the Ministerial service. the appointing authority. shall hold a com petitive examination. each year at such time as he may deter mine, in accordance with the scheme laid down in Schedule-V.

(ii) 16 percent. 20 percent & 14 percent of the vacancies available for promotion to such posts in which the percentage of pro motion is 33 1/3% or more according to Schedule II shall be reserved for such employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14.

(iii) In filling up the vacancies so reserved candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative rank as compared with the names of other candidates.

(iv) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & OBC are not available to fill up all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be filled by other candidates who qualify at the limited competitive examination and the unfilled vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall lapse.

(v) List of suitable candidates recommended for appointment- A list in order of merit of the candidates shall be compiled who have qualified themselves by such standard as prescribed in Schedule V and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard but declared by the appointing authority to be suitable for appointment with due regard to the maintenance of the efficiency of administration. This list shall be valid for a period of one year from the date when it is finally prepared.

(vi) Subject to the provisions of these rules candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(vii) The inclusion of the name of a candidate in the list confers no right to appointment unless the appointing authority after making such enquiry as he may deem necessary, is satisfied that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion**:- (1) There shall be consituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) In case of more than one posts of Schedule II column (Three) 16 percent post for Scheduled Caste and 23 percent Scheduled Tribes employees would be reserved for such employees who are eligible for promotion in accordance with the provision of rule 14. As per Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rule 2003 promotion will done as per model roaster.

(4) As per Sub-Rule (3) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the Instructions issued by Government in General Administration Department from time to time.

14 **Condition of eligibility fer promotion**:-

(1) Subject to the provision of Schedule 4 sub-rule (2), the Committee shall consider the cases, of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service whether offciating or substantive, on the post from which promotion is to be made or on the post or posts declared equivalent there to by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation: Counting process for eligibility for promotion:- Counting of qualifying service period would be done on the basis of Calender year not on the basis of date i.e. from 1st January of the meeting of promotion committee/scrutiny committee convened.

Provided that the services of the released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission, after their appointment in the Service, shall be counted from the date from

which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with the General Administration Department memo-No.2266-1987-I-(3)-67 dated the 21st October 1967.

Provided further that no Junior person shall be considered for selection grade/ promotion in preference to the person senior to him only on the basis of his completing the prescribed period of service.

(2) Field of Selection:-(a) In case of selection for posts, filled by merit-cum-seniority basis, number of employees included in the selection list for 1,2 & 3 posts would be 5,8,10. Similarly the formula would vacancies be doubled and 4 added.

Explanation:-A person whose name is included in a select list but who is not prompt during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(3) If the process of selection, reviewed or revision, proposed to supersede any member service, viz. Joint Director of Public Relations, Deputy Director of Public Relations or Assistant Director of Public Relations etc., as the case may be, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession

15. **Approval of the Director / Commissioner on the select list**:- The list prepared in accordance with rule 15 shall then be forwarded to the Director/Commissioner by the Committee alongwith:-

(1) The records of all persons included in the list.

(2) The records of all members of the service as specified in Column (2) of Schedule IV who are proposed to be superseded according to the recommendations made in the list.

(3) The reasons as recorded by the Committee for the proposed super session of any member of the service as specified in Column (2) of schedule IV.

(4) Director/Commissioner view on recommendations of the Committee.

16 **Select List**:-(1) The list as finally approved by the Director/Commissioner shall form the select list of promotion the members of the service as mentioned in column 2 of Schedule IV to the post of mentioned in column 3 of Schedule IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list be made at the instance of the Government and the Director/Commissioner, may if he thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list**:-

(1) Appointments of the officers included in the Select List to posts borne on the cadre of that service shall follow the order in which the names of such officers appear in Select List:

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name is included in the Select List or who is not next in the order in the Select List, may be appointed in the Service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to continue/remain for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointed person whose name is included in the Select List to the Service unless during the part intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any

deterioration in the work which in the option of the Government is such as to render him suitable for appointment to the service.

18. **Probation**:- Every person directly recruited to the service shall be on probation for a period of two years provided the post is permanent.

19. **Interpretation**:- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation**: Nothing in these rules shall be constructed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21(A). **Repeal and Saving**:-All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these Rules.

(B) **Saving**: Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & OBC in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
DINESH KUMAR, SHRIVASTAVA, Special Secretary.

SCHEDULE - I
(See Rule -5)

Sl. No	Name of the posts included in the service	No. of Posts			Classification	Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1	Chief Photographer	01	—	01	Class -III (Executive)	5500-175-9000
2	Asst. Public Relation Officer	14	—	14	---,,---	5500-175-9000
3	Photographer	01	—	01	---,,---	5000-150-8000
4	Assistant Photographer	11	—	11	---,,---	4500-125-7000
5	Information Asst. Grade-1	44	—	44	---,,---	4500-125-7000
6	Information Asst. Grade-2	07	—	07	---,,---	4000-100-6000
7	Publicity Asst. Grade-2	03	—	03	---,,---	3500-80-4700-100-5200
8	Technician (Regular) (Dying Cadre)	02	—	02	---,,---	3050-75-3950-80-4590
9	Technician (Contingency) (Dying Cadre)	03	—	03	---,,---	Collector Rate
10	Carpentar-cum-Mechanic (Dying Cadre)	01	—	01	---,,---	3050-75-3950-80-4590
11	Heavy Vehicle Driver (Regular) (Dying Cadre)	01	—	01	---,,---	3500-80-4700-100-5200
12	Driver (Regular)	07	—	07	---,,---	3050-75-3950-80-4590
13	Driver (Contingency)	26	—	26	---,,---	Collector Rate
14	Communication Asst. Grade-1	01	—	01	---,,---	5000-150-8000
15	Communication Asst. Grade-3	03	—	03	---,,---	4000-100-6000
16	Cinema Operator (Regular) (Dying Cadre)	02	—	02	---,,---	3050-75-3590-80-4590
17	Cinema Operator (Contingency) (Dying Cadre)	04	—	04	---,,---	3050-75-3590-80-4590
18	Superintendent	01	—	01	Class -III (Ministerial)	5500-175-9000
19	Personal Assistant	03	—	03	---,,---	5500-175-9000
20	Stenographer Grade -3	08	—	08	---,,---	4500-125-7000
21	Accountant	21	—	21	---,,---	4500-125-7000
22	Junior Accountant (Dying Cadre)	03	—	03	---,,---	4000-100-6000
23	Asst. Grade-1	13	—	13	---,,---	4500-125-7000
24	Asst. Grade-2	17	—	17	---,,---	4000-100-6000
25	Asst. Grade-3	37	—	37	---,,---	3050-75-3950-80-4590
26	Steno Typist				---,,---	3050-75-3950-80-4590
27	Data Entry Operator	10	—	10	— " —	3500-80-4700-100-5200

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Name of the Service	Name of the Post	Total No. of Post	Percentage of the posts to be filled By Direct recruitment by competitive Examination Under Rule 6(a)	By Promotion of the members of the service under Rule 6(b)	By temporary transfer of the members of other service under Rule 6(C)
1	2	3	4	5	6
The Chhattisgarh Public Relation Class III (Ministerial and Non-Ministerial Service)	1. Chief Photographer	01	------	100%	
	2. Asst. Public Relation Officer	14	--------	100%	
	3. Photographer	01	-------	100%	
	4. Asst. Photographer	11	60%	40%	to be filled by promotion of departmental Class-III employees who have passed the higher secondary school examination or High School Examination under 10+2 education system and should also possess a certificate of Photography of a recognised institution awarding Diploma in Photography.
	5. Information Assistant Grade -1	44	70%	15% (By promotion of Information Asst. Grade-2 & Publicity Asst. Grade -2	+15 % for departmental Class-III ministerial employees to be recruited by selection
	6. Information Assistant Grade -2	07	100%	--------	
	7. Publicity Assistant Grade-2	03	75%	25%	
	8. Communication Ass.Grade-1	01	-------	100%	
	9. Communication Asst. Grade-3	03	100%	------	
	10. Driver (Regular)	07	------	100%	After Completion of 10 year of Service in contingency/ work charged service, subsequently on declaration as permanent, will be appointed in regular establishment against vacant post on the basis of seniority.
	11. Driver (Contingency)	26	100%	--------	
	12. Superintendent	01	--------	100%	
	13. Personal Assistant	03	--------	100%	

Name of the Service	Name of the Post	Total No. of Post	Percentage of the posts to be filled		
			By Direct recruitment by competitive Examination Under Rule 6(a)	By Promotion of the members of the service under Rule 6(b)	By temporary transfer of the members of other service under Rule 6(C)
1	2	3	4	5	6
	14. Stenographer Grade-3	08	67%	33%	33% of the posts of Stenographer Grade-III shall be available for promotion from the post of Steno Typist and for this purpose qualification and the selection procedure will be as laid down for direct recruitment for the post of Stenographer Grade-III
	15. Accountant	21	------	100%	
	16. Asst.Grade-1	13	------	100%	
	17. Asst. Grade-2	17	------	100%	
	18. Asst. Grade-3	37	75%	25%	25% to be filled by Departmental Class-IV employees who have passed the higher second-ary school Examination or High school Examination under (10+2) education system and have completed 5 years service
	19. Steno Typist	07	100%	------	------

SCHEDULE -III
(See Rule - 8)

Name of office ar... Name of service	Classification	Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualification etc
1	2	3	4	5	6
Directorate of Public Relation The Chhattisgarh Relation Class III (Ministerial Non-Ministerial) service	Class -III (Executive)	1. Asst. Public Relation Officer	21	35	Graduate from any recognised University
		2. Asst. Photographer	18	35	Should have passed Higher Secondary or High School in 10+2 education system should lso possess a certificate of photography of a recognised institution awarding Diploma in Photography.
		3. Information Asst. Grade - 1	21	35	Graduate from any recognised University
		4. Information Asst. Grade - 2	21	35	Graduate from any recognised University and Degree/Diploma/ 3 years experience in Journalism.
		5. Communication Asst. Grade -3	18	35	Should have passed Higher Secondary or High School in 10+2 education system and should also possess a certificate of Diploma in Computer applica tion of a recognised institution awarding Diploma in Computer education.
		6. Publicity Asst. Gr-2	21	35	Should have passed Higher Secondary or High School in 10+2 education system.
		7. Driver	21	35	Should have passed 8th standard Board examination and should also possess Driving Licence.
		8. Stenographer Gr-3	18	35	Should have passed Higher Secondary or High School in 10+2education system should have also passed Hindi Short-hand examination from the Chhattisgarh Shorthand and Typewriting examination Board or from any other institution recognised for the purpose / D.C.A.
		9. Steno Typist	18	35	Should have passed Higher Secondary or High School in 10+2 education system and should have also passed Hindi Typewriting examination from the Chhattisgarh Shorthand and Typewriting examination board or from any other institution recognised for the

Name of office and Name of service	Classification	Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualification etc
1	2	3	4	5	6
					purpose and also have speed of 60 words per minute in Stenography/ Diploma in Computer Education.
		10. Asst.Grade-3	18	35	Should have passed Higher secondary or High school in 10+2 education system and should have also passed Hindi typewriting examination from the typing examination Board or from the recognised institution.

SCHEDULE-IV
(See Rule - 13 and 14)

Name the service	Name of the post from which promotion to be made	Name of the to which promotion is to be made	Minimum period of service required for promotion	Constitution of the Departmental Promotion Committee (Vide Rule -15)	Remars
1	2	3	4	5	6
Chhattisgarh Public Relation Class III (Ministerial and Non ministerial) service	1 (a) Publicity Asst. Gr - 1 (b) Information Asst. Gr - 1	Asst. Public Relation Officer	5 yrs 5 yrs	1. Addl Director nominated by Commissioner/ Director 2. Joint Director nominated by Commissioner 3. Dy. Director (Estt)	Chaiman Member Member
	2. Photographer	Chief Photographer	5 yrs	-----"------	
	3. Asst. Photographer	Photographer	5 yrs	-----"------	
	4. Information Asst. Gr - 2 Publicity Asst. Gr - 2	Information Asst. Gr - 2 Information Asst. Gr - 2	5 yrs. 5 yrs	-----"------ -----"------	
	5. Technician	Asst. Photographer	3 yrs	-----"------	
	6. Carpenter cum Mechanic Cinema Operator	Publicity Asst. Gr - 2 Publicity Asst. Gr - 2	3 yrs 3 yrs	-----"------ -----"------	
	7.Communication Asst. Gr - 2 Communication Asst. Gr - 3	Communication Asst. Gr - 1 Communication Asst. Gr - 1	3 yrs 5 yrs	-----"------ -----"------	
	8. Accountant	Superintendent	3 yrs	-----"------	
	9.Junior Accountant Assistant Grade - 2 (Account Trained)	Accountant Accountant	3 yrs 3 yrs	-----"------ -----"------	
	10. Assistant Grade - 2 (Untrained)	Assistant Grade - 1	3 yrs	-----"------	
	11. Assistant Grade - 3 12. Stenographer Grade - 3 13. Steno Typist	Assistant Grade - 2 Personal Assistant Stenographer Grade - 3	5 yrs 5 yrs 5 yrs	-----"------ -----"------ -----"------	

Note: Promotion to stenographer Grade - III from steno Typist and Asst. Grade - 3 from Class IV will be g9iven as laid down in Schedule II

SCHEDULE - V

[(See rule 6(1) (b) 12-A (1)]

Scheme for appointment to the posts of Information Assistants from the ministerial service through a limited competitive examination.

1. Title - This Scheme may be called the "Scheme for the recruitment of Information Assistants from amongst the ministerial service of the Directorate of Public Relations and its subordinate offices through selection,

2. Eligibility- (a) Only those members of the ministerial service shall be eligible under this scheme, who fulfil the following qualifications, namely-

(i) Who has completed five years continuous ministerial service in the Directorate of Public Relations or its subordinate offices.

(ii) Who possesses Qualifications prescribed for direct recruitment of the posts of information assistants in Schedule III.

(iii) His age should not exceed 45 years, on the first day of the year in which he is selected for a appointment in the case of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes the maximum age limit shall be 50 years.

3. Selection - Selection for appointment shall be made on the basis of :-

(i) The marks obtained by successful candidates at the examination, and

(ii) The evaluation of the character rolls of the employees concerned for the past five years shall be taken into account for selection.

4. Examination- (i) The appointing authority shall hold a written examination each year in such a manner and on date and places to be determined by him.

(ii) There will be two question papers of 2 1/2 hours duration each carrying 50 marks each for written examination. For being successful in this examination it will be essential to obtain at least 50% marks in each paper.

(iii) The appointing authority shall cause the question papers to be set in the following subject :-

QUESTION PAPER -1

General Knowledge, General Hindi and Elementary Mathematics

QUESTION PAPER -2

(i) General rules of Government service

(ii) Knowledge of the terminology prevalent in the Deptt.

(iii) Act, Rules, Manuals etc. relating to the Deptt.

(iv) The syllabus for the question papers is given in the attached appendix.

(v) Only such employee will be eligible for admission to this examination who, fulfills the qualification and down the fore going para 2. Applications for admissions to this examination from intending candidates will be invited by the appointing authority atleast one month prior to the date fixed for holding the examination. Those applicants who are found eligible to this examination will be in formed of the dates, place and time of the examination.

(vi) The valuation of the answer books shall be got done by the appointing authority by the officer/officers of the department nominated by him.

(vii) A list of such candidates will be drawn up who have secured 50% or more marks in each question paper separately.

5. (i) Evaluation of character rolls and final selection lists - The evaluation of the character rolls for the preceeding five years of the candidates included in the selection list prepared according to para 4 (vii) will be made by the Departmental Promotion Committee mentioned in column (5) of scheduled IV.

(ii) Each candidates shall be awarded marks according to the following graded scale cut of 20 marks for each year.

Outstanding/Very good	20
Good.	15
Average	10

(iii) The marks obtained on the basis of evaluation of character rolls shall be entered against the marks obtained by each candidate at the written examination and the total of these two figures shall be the total marks.

(iv) The final selection list shall be prepared on the basis of the total marks obtained.

(v) The inter-se-seniority of the Information Assistants appointed from the ministerial service shall be determined in accordance with the order of merit in final list.

6. Probation - Each employee appointed under this Scheme will be on probation for a period of two years. During this period he shall undergo such training and pass such departmental examinations shall be prescribed if any. If any candidate is found unsuitable for the post of Information Assistant during the probation period, he shall be reverted to his original ministerial post on reversion the service rendered on the post of Information Assistant during probation shall be deemed to be the service rendered in the ministerial service.

APPENDIX
SYLLABUS FOR THE QUESTION PAPERS

Question Paper - 1 (Maximum Marks - 50)
General Knowledge (15 Marks)

Contemporary events, History of India, Geography of India adn allied references, General Knowledge about Chhattisgarh (Three Question)

(ii) General Hindi (15 marks)
Short question based on a 10-12 line precis distinguishing meaning of simiiar words and an easy on any subject limited to 150 words.

(iii) Elementary Mathematics (20 Marks)
Multiplication, division, fractions in decimal system, percentage profit and loss, average, area, volumed and ratio.

Question Paper II (Maximum Marks - 50)

(i) Knowledge about Government service (20 Marks)
Pay, Allowances, Leave, General Provident Fund, Genera Knowledge about recruitment rules and elementary knowledge about conduct rules.

(ii) Vocabulary current in the department (15 Marks)
Questions based of the vocabulary generally used in the department.

(iii) Knowledge of departmental rules (15 marks)
Questions on different Acts, Rule, etc under wich the department functions.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/24/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	एरण्डवाल	0.66	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/25/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	दुर्गनपाल	0.18	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लाम) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/30/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	केशलूर	0.19	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/31/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	इरपा	0.07	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/32/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	गुर्राम	1.13	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/33/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मेटावाड़ा	1.92	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/34/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बड़े आरापुर	2.59	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/35/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मावलीभाटा	8.54	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/36/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बागमुण्डीपनेड़ा	6.27	अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9297/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसकें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	भाठा बम्हनी प. ह. नं. 13	18.82	कार्यपालन अभियंता, सूखा नाला बैराज, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	सूखा नाला बैराज पुनर्वास एवं पुर्नबसावट हेतु.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9298/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	जन्तर प. ह. नं. 13	2.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव	सूखा नाला बैराज पुनर्वास एवं पुनर्बसावट हेतु.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9304/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सोमाझिटिया प. ह. नं. 59	3.366	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के सोमाझिटिया लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बैराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9305/भू-अर्जन/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चिरचारी कला प. ह. नं. 57	6.395	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना की बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के लिए.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9307/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	ठाकुरबांधा प. ह. नं. 57	2.145	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के ठाकुरबांधा मुख्य नहर निर्माण के लिए है.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9308/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सेवताटोला प. ह. नं. 15	0.489	लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	डोंगरगांव जामसरार मार्ग पर सूखा नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9443/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मेढ़ा	0.283	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	मेढ़ा टोलागांव मार्ग के कि. मी. 2/4 में मेढ़ा नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9306/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चोरहाबंजारी प. ह. नं. 57	2.064	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के चोरहाबंजारी मुख्य नहर निर्माण के लिए है.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बैराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक/9309/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	जामसरारकला प. ह. नं. 14	0.940	लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	डोंगरगांव जामसरार मार्ग पर सूखा नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

क्रमांक 1827/01 अ/82 सन् 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुरूर
- (ग) नगर/ग्राम-पलारी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	256	0.05
	262	0.13
	272	0.10
	273	0.10
	274	0.08
योग	5	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पलारी भिरई पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 नवम्बर 2006

क्रमांक/4819/भू-अर्जन/प्रा. क्र. 1/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-हारम, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-271444 वर्गफुट

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गफुट में)
(1)	(2)
296/838	726
307/1	528
309	792
312/1	396
313	1452
315/1	4092
330/4	6130
315/5	5478
330/1	6930
315/6	5478
330/3	6930
315/8	5478
330/2	6930
315/7 ख	264
323/2	396
327/1	2904
343/1	264
302/2	1056
308	660
310/1	792
312/2	528
345	1056

(1)	(2)
315/11	4158
315/2	5478
315/9	3894
315/3	5478
315/10	3894
315/4	5478
315/12	3894
315/7 क	264
323/क	1551
326	792
342/1	528
343/2	396
343/3	396
346	1716
350/2	396
352/1	330
354	430
530	1980
348/2	198
348/4	264
100	7392
80	14785
89/2	4620
92	4158
95/1	3234
97/4	15246
196	3696
201/1	11781
344/2	594
350/1 क	3498
351	1056
352/2	594
528	792
348/1	264
348/3	330
95/2	8662
54	3234
89/1	4158
90	1848
94/1	3234
97/3	5544
97/5	24486
198	4620
552	6006
योग	271444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 हेतु ग्राम-हारम के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 नवम्बर 2006

क्रमांक 04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जांजगीर
(ग) नगर/ग्राम-जांजगीर, प. ह. नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4071/1	0.061
योग 1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जांजगीर-चांपा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/6/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बनियागांव, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
लघु नहर क्र. 1	
598/1	0.10
599	0.11
1287	0.05
1289	0.01
1283	0.11
1280	0.02
1281	0.02
योग	0.42
लघु नहर क्र. 2	
343	0.02
342	0.13
341	0.06
391	0.01
791	0.03
390	0.03
388	0.13
439/1	0.11
439/2	0.12
610	0.01
608	0.02
607	0.04
606	0.03
605	0.12
796	0.08
601	0.01
योग	0.95
लघु नहर क्र. 3	
724	0.01
666	0.03
663	0.08
662	0.08
661	0.05
659	0.06
660	0.01
657	0.04
656	0.03
655	0.01
654/1	0.13
646	0.08
645	0.05
644	0.04
643/1	0.05
759	0.05
योग	0.80
कुल योग लघु नहर क्र. 1+2+3 =	2.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बनियागांव जलाशय की माइनर नहर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/12/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-भण्डारसिवनी, प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.028
4/1 ख, 56/2	0.012
4/1 ख, 56/2	0.049
5	0.121
59/1	0.061
77/23 क	0.121
56/1	0.061
77/18	0.243
77/9, 77/13, 77/16, 79	0.203
77/17 क, 78	0.130
77/27	0.041
205/1 क	0.081
135	0.263
136	0.182
137	0.101
138/2	0.061
134/7	0.101
140	0.032
141/1	0.081
142	0.089
145/1	0.061
148/1	0.162
5	0.041
10/1	0.028
2/3 क	0.081
7/1	0.081
7/2	0.020
2/4	0.081
9/1	0.069
16/1	0.032
16/2	0.020
22/3 क	0.020
142	0.040
144	0.061
129/1	0.061
129/2	0.061
131	0.081
85/3	0.121
85/2	0.041
88/1	0.032
31	0.081
योग	3.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भण्डारसिवनी उद्वहन की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव के कार्यालय अथवा कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/13/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-मोहलई, प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.217 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/2 ध	0.056
78/2 ध	0.104
2/95	0.188
79/4	0.093
79/4	0.076
2/26	0.220
83/1	0.104
79/5	0.048

(1)	(2)
2/125	0.081
5/1	0.024
68/1	0.12
5/2	0.032
7/2	0.028
2/104	0.032
12/6	0.024
13/5	0.052
13/6	0.024
12/3	0.032
51/4, 52/4	0.120
11/7	0.028
11/1	0.024
11/2	0.036
91/30	0.028
2/21	0.104
2/118	0.061
2/114	0.041
70/2	0.061
71/2	0.016
71/3	0.028
70/1	0.104
70/3	0.092
2/4 क	0.092
59, 62	0.144
51/3, 52/3	0.121
2/99	0.101
2/39	0.012
12/4	0.044
12/2	0.044
2/9	0.304
2/9	0.052
2/16	0.024
11/6	0.048
11/4	0.021
11/5	0.024
2/139	0.061
43/4, 55/4	0.008
2/130	0.048
11/8	0.016
11/9	0.016
51/3, 52/3	0.064
योग	3.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भण्डारसिवनी उद्वहन की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव के कार्यालय अथवा कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा

बी-99 मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा/06/2465.—संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग की विभागीय नियमावली में निहित प्रावधानानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षकों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-दो माह जनवरी 2007 में दिनांक 08-01-2007 से 11-01-2007 तक नीचे लिखित अनुसार संपादित होगी :-

परीक्षा केन्द्र-संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर

क्र.	प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	विषय	समय
1.	प्रथम-अ	08-01-07	सोमवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	11 से 12.30 बजे 1.30 घंटे
2.	प्रथम-ब	08-01-07	सोमवार	तदैव (व्यवहारिक) (पुस्तक सहित)	2 से 4.30 बजे 2.30 घंटे
3.	द्वितीय	09-01-07	मंगलवार	भारत का संविधान (पुस्तक सहित)	10.30 से 1.30 बजे 3 घंटे
4.	तृतीय	10-01-07	बुधवार	वाणिज्यिक बहीखाता (पुस्तक रहित)	10.30 से 12.30 बजे 2 घंटे
5.	चतुर्थ	11-01-07	गुरुवार	स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता (पुस्तक सहित)	10.30 से 1.00 बजे 2.30 घंटे

किशोर परियार,
अपर संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2006

क्रमांक/10388/अधीक्षक/2006.—श्री पदुमसिंह एल्मा, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा का स्थानांतरण हो जाने तथा श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर कोरबा के द्वारा जिला कोरबा में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/3156/अधीक्षक/2006 कोरबा दिनांक 21-03-2006 को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य बंटन/कार्य विभागज किया जाता है :-

1. **श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर**
   1. अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी
   2. वित्त/स्थापना
   3. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम निकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.

प्रभारी अधिकारी
1. लाइसेंस
2. सहायक अधीक्षक राजस्व
3. व्यवहारवाद
4. राजस्व मोहर्रिर
5. भू-अर्जन/भूमि-बंटन

6. नजूल
7. अल्प बचत
8. जिला जनगणना अधिकारी

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

2. **श्री ओम प्रकाश चौधरी, सहायक कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी
1. लाइसेंस
2. भू-अर्जन/भूमि-बंटन
3. नजूल

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

नस्तियां प्रभारी अधिकारी श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे.

3. **श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी
1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य)
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय)
3. जनसम्पर्क
4. भू-अभिलेख
5. वाचक कलेक्टर
6. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
7. प्रोटोकाल
8. जिला नाजिर
9. जनदर्शन

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

4. **श्रीमती इफफत आरा, संयुक्त कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट**
प्रभारी अधिकारी
1. विशेष कक्ष
2. सहायक अधीक्षक सामान्य
3. सूचना के अधिकार
4. शहरी विकास अभिकरण
5. खाद्य
6. स्वास्थ्य शाखा (कलेक्टर कार्यालय)
7. भाड़ा नियंत्रण
8. अनु. जाति, जनजाति, वित्त विकास निगम
9. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
10. वरिष्ठ लिपिक

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

5. **श्रीमती फरीहा आलम, डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन)**
1. प्रपत्र एवं लेख सामग्री
2. नवोदय विद्यालय

3. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

नस्तियां प्रभारी अधिकारी श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे.

6. **सुश्री पदमिनी भोई, डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन)**

1. कम्प्यूटर शाखा
2. मुद्रण शाखा
3. सांख्य लिपिक
4. आवक-जावक
5. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
6. सहायक अधीक्षक विविध

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

नस्तियां प्रभारी अधिकारी श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे.

7. **श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा**

1. **राजस्व**

   1. अनुविभागीय अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान.
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी

2. **आपराधिक**

   1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा-145 सी. आर. पी. सी.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

   2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 3 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. विविध

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसपंर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

8. **श्री एम. एल. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा**

1. राजस्व

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा एवं पाली के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कटघोरा एवं पाली का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा एवं पाली के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा एवं पाली के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा एवं पाली के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा एवं पाली के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा एवं पाली के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा एवं पाली के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी

2. आपराधिक

1. कटघोरा एवं पाली तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा-145 सी. आर. पी. सी.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा एवं पाली तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 3 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. विविध

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसपंर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा अन्य कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम से सामने दर्शाये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे :-

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
2.	श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर	श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर
3.	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर	श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर
4.	श्री एम. एल. धृतलहरे, अ. वि. अ. कटघोरा	श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर
5.	श्री एस. एन. राम, अ. वि. अ. कोरबा	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th October 2006

No. 711/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2) of the table below is hereby promoted and appointed on ad-hoc basis as Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates with the condition that he shall be entitled for the pay of post of Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate only after completion of his 5 years' service as Civil Judge Class-I, viz. :-

TABLE

Sr. No. (1)	Name & present posting (2)	On promotion, Posted as (3)
1.	Shri Ramjivan Dewangan, presently posted on deputation as Deputy Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.	To continue as Deputy Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.

Bilaspur, the 13th October 2006

No. 713/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :-

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajendra Kumar Verma, II Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Bijapur	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Pankaj Kumar Jain, I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Narayanpur	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-II
3.	Shri Mahesh Kumar Raj, X Civil Judge Class-II.	Raipur	Pratappur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II
4.	Smt. Usha Gendle, V Civil Judge Class-II.	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	III Civil Judge Class-II
5.	Shri Jagdish Ram, III Civil Judge Class-II	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.
6.	Smt. Madhu Tiwari, V Civil Judge Class-II.	Raipur	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-II
7.	Ku. Sangita Shukla, IV Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 13th October 2006

No. 4912/I-7-3/2006.—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare 23rd and 24th October, 2006 as holidays for the Subordinate Courts of this State on account of "Bhaidooj".

Bilaspur, the 17th October 2006

No. 717/Confdl./2006/II-2-1/2006.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assume charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assume charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Lochan Ram Thakur, Additional District and Sessions Judge.	Baikunthpur	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	II Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 17th October 2006

No. 719/Confdl./2006/II-15-21/2000 (Pt. III).—The High Court Registry Order No. 660/Confdl./2006/II-15-21/2000 (Pt. III), dated 07-10-2006 so far as it relates to transfer of Shri Anand Kumar Singhal, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Jagdalpur as II Additional District & Sessions Judge, (F. T. C.) Sanjari-Balod is hereby modified to the extent that he shall now stand transferred and posted as IX Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 22nd November 2006

No. 5514/I-7-3/2007 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the year 2007 :-

Summer Vacation :- Monday 14th May to Friday 8th June, 2007
Winter Holidays :- Monday 24th December to Monday 31st December, 2007

S. No.	Name of Holidays	No. of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the Week
1.	New Year Day/Id-Ul-Zuha Holiday.	1	01-01-2007	Monday
2.	Republic Day	1	26-01-2007	Friday
3.	Moharram	1	30-01-2007	Tuesday
4.	Mahashivratri	1	16-02-2007	Friday
5.	Holi Holidays	3	05-03-2007 to 07-03-2007	Monday to Wednesday
6.	Ram Navami	1	27-03-2007	Tuesday
7.	Mahavir Jayanti	1	31-03-2007	Saturday
8.	Good Friday	1	06-04-2007	Friday
9.	Independence Day	1	15-08-2007	Wednesday
10.	Raksha Bandhan	1	28-08-2007	Tuesday
11.	Janmashtami	1	04-09-2007	Tuesday
12.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2007	Tuesday
13.	Dushera Holidays	2	18-10-2007 to 19-10-2007	Thursday to Friday
14.	Deepawali Holidays	3	07-11-2007 to 09-11-2007	Wednesday to Friday
15.	Gurunanak Jayanti	1	24-11-2007	Saturday
16.	Guru Ghasidas Jayanti	1	18-12-2007	Tuesday
17.	Id-Ul-Zuha	1	21-12-2007	Friday
18.	Christmas	1	25-12-2007	Tuesday

Notes :-

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays falling on 13th January, 2007, 20th January, 2007, 10th February, 2007, 17th February, 2007, 10th March, 2007, 17th March, 2007, 14th April, 2007, 21st April, 2007, 12th May, 2007, 19th May, 2007, 9th June, 2007, 16th June, 2007, 14th July, 2007, 21st July, 2007, 11th August, 2007, 18th August, 2007, 8th September, 2007, 15th September, 2007, 13th October, 2007, 20th October, 2007, 10th November, 2007, 17th November, 2007, 8th December, 2007 and 15th December, 2007 shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. All Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in summer vacation, are declared non-working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

4. Milad-Un-Nabi dated 01-04-2007 falls on Sunday and Ambedkar Jayanti dated 14-04-2007. Id-Ul-Fitr dated 13-10-2007 falls on closed Saturday therefore no Holiday is declared separately.

5. The High Court shall remain closed from 14-05-2007 to 08-06-2007 on account of Summer Vacation and from 24-12-2007 to 31-12-2007 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Summer Vacation and Winter Holidays, except on Sundays and the Holidays.

6. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr are subject to change depending upon the Visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

7. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitiled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2007.

By Order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2006

क्रमांक 205/दो-2-17/2005.—श्री महेन्द्र राठौर, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), बिलासपुर (छ. ग.), को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-09-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2006

क्रमांक 206/दो-2-11/2004.—श्री इंदर सिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) (छ. ग.), को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-07-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2006

क्रमांक 207/दो-2-17/2006.—श्री ए. एल. जोशी, एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-09-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2006

क्रमांक 208/दो-2-15/2005.—श्री सी. एल. एस. टेकाम, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-09-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. आर. एल. नारायणा, एडीशनल रजिस्ट्रार (लेखा).